दुरभाष क्रमांक 07394–234400 फेक्स क्रमांक 234222

क्रमांक/नजारत/प्रोटोकाल/2018/327 अलीराजपुर, दिनांक 25/01/2019

प्रति,

आयुक्त जनसम्पर्क
जनसम्पर्क सचालनालय
(विज्ञापन शाखा)
बाणगंगा रोड़
भोपाल (म.प्र.)

विषय – **घोष विक्रय (खुली निविदा) हेतु** " निविदा " का प्रकाशन करने बावत्।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि कलेक्टर, जिला अलीराजपुर की निम्न निष्प्रयोजित एम्बेसेडर कार 02 एवं महिन्द्रा जीप 01 कुल 03 चार पहिया वाहन जहा है, जैसी है, की बिक्री हेतु खुली निलामी (घोष विक्रय) दिनांक .... को अपरान्ह 3:00 बजे संयुक्त जिला कार्यालय अलीराजपुर की बैठक कक्ष क्रमांक 106 में किये जाने हेतु पत्र के संलग्न निविदा का प्रकाशन समाचार पत्रों मे किये जाने हेतु आपकी भेजा जा रहा है।

कृपया निविदा 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करे।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

संलग्न – निविदा आमंत्रण सूचना।

(शैलेन्द्रसिंह सोलकी)
संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ.क्रमांक/नजारत/प्रोटोकाल/2018/328 अलीराजपुर, दिनांक 25/01/2019

प्रतिलिपि –

01. सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
02. आयुक्त, इन्दौर, संभाग इन्दौर।
03. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला अलीराजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
04. श्री ए.बी. सागर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं उक्त निविदा को जिलें की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आदेशित।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर (मध्यप्रदेश)

दुरभाष क्रमांक 07394–234400 | फेक्स क्रमांक 234222

क्रमांक/जिला नाजिर/2018–19/329 | अलीराजपुर, दिनांक 25/01/2019

"– घोष विक्रय (खुली निलामी) हेतु विज्ञप्ति –"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर कार्यालय अलीराजपुर की निम्न निष्प्रयोजित महिन्द्रा जीप एवं एम्बेसेडर कार "जहा है, जैसी है" की बिक्री हेतु खुली निलामी (घोष विक्रय) दिनाक 13-02-2019 को अपरान्ह 3:00 बजे संयुक्त जिला कार्यालय के बैठक कक्ष क्रमांक 105 अलीराजपुर में की जावेगी।

क्रमांक	वाहन का पंजीयन क्रमांक	मेकर का नाम	निर्माण वर्ष	सरकारी बोली
01	एम.पी. 02 ए.व्ही. 4501 (एम्बेसेडर)	हिन्दुस्तान मोटर एच.एम. 1800 आईएसझेड	2002	10,000
02	एम.पी. 02 ए.व्ही. 3111 (एम्बेसेडर)	हिन्दुस्तान मोटर एच.एम. 1800 आईएसझेड	2009	15,000
03	एम.पी. 02 ए.व्ही. 2468 (जीप)	मे. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि. मुम्बई	2009	38,000

"– शर्ते –"

13. वाहन जहा जिस हालात में रखा/खड़ा है उसी हालात में निलाम किया जावेगा।
14. वाहन से संबधित अभिलेख यथा आर.सी.बुक एवं अन्य प्रदाय नही किये जावेगे।
15. वाहन का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय अलीराजपुर में कार्यालयीन समय में कर सकते है।
16. निलामी में बोली लगाने से पुर्व वाहन हेतु रूपये 5,000/–(अक्षरी– पॉच हजार मात्र) का डी.डी./नगदी कलेक्टोरेट जनभागीदारी समिति अलीराजपुर के नाम से देय हो धरोहर की राशि निलामी के एक दिन पुर्व अर्थात दिनांक 12-02-2019 को अपरान्ह 3:00 बजे तक जिला नाजिर कलेक्टोरेट अलीराजपुर के पास जमा कराना अनिवार्य होगी।
17. निलामी कार्यवाही के दौरान उच्चतम बोली जिस पक्षकार की प्राप्त होगी, उसको निलामी मुल्य की 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा कराना होगी, अगर कोई इसका पालन नही करता है तो उसकी जमा धरोहर राशि संबधित विभाग के पक्ष में राजसात हो जावेगी, तथा उसकी निलामी निरस्त मान्य की जावेगी।
18. अंतिम बोली की पुष्टीकरण की सूचना के तीन दिवस के भीतर सफल बोलीदार को अतिशेष राशि जमा करना अनिवार्य होगी। यदि निर्धारित समय सीमा में अतिशेष राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई 25 प्रतिशत राशि तथा अमानत राशि सबधित विभाग के पक्ष मे राजसात की जायेगी तथा निलामी निरस्त समझी जावेगी, एवं पुनः निलामी मे वाहन की कीमत कम आती है तो पक्षकार से ऐसी हानि/खर्च वसुली योग्य होगा।
19. निलामी मे भाग लेने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा जिसके द्वारा आवश्यक धरोहर राशि निलामी के एक दिन पुर्व अर्थात दिनांक 12-02-2019 को अपरान्ह 03:00 बजे तक जिला नाजिर कलेक्टोरेट अलीराजपुर के पास जमा कराई जाना होगी, अन्य किसी व्यक्ति को बोली लगाने का अधिकार नही होगा। सभी निलामी मे भाग लेने वाले अधिकृत व्यक्तियों को निर्धारित निलामी दिनांक एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक है, किसी भी प्रकार का विलम्ब मान्य नही किया जावेगा।
20. किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर अलीराजपुर का होगा जो सर्वमान्य होगा, जिसे किसी भी न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

09. किसी भी प्रकार के विवाद में कलेक्टर अलीराजपुर का निर्णय अंतिम होगा जो सर्वमान्य होगा।

10. उच्चतम दो बोली लगाने वालो को छोड़कर अन्य बोली लगाने वालो की धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जावेगी।

11. वाहन अंतिम रूप से निराकरण होने के पश्चात् पक्षकार स्वयं के व्यय पर वाहन उठायेगा तथा परिहवन विभाग के नियमो के अधीन सॉत दिवस में अपने पक्ष में पंजीयन करायेगा, एवं जिसकी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्यतः देगा, इस पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करेगा, शासन द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जावेगा।

12. सफल बोलीदार को वाहन प्राप्ति के समय अपना पहचान पत्र (Address Proof) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(शैलेन्द्रसिंह सोलंकी)
संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ.क्रमांक/जिला नाजिर/2018–19/330 अलीराजपुर, दिनांक 25/01/2019

प्रतिलिपि–

01. आयुक्त, इन्दौर, संभाग इन्दौर।
02. समस्त कलेक्टर .... मध्यप्रदेश
03. पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर।
04. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल।
05. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अलीराजपुर।
06. कार्यपालन यंत्री वि./या., लोक निर्माण विभाग अलीराजपुर।
07. प्रभारी अधिकारी (वित्त–2 शाखा) कलेक्टोरेट अलीराजपुर।
08. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अलीराजपुर/जोबट/सोण्डवा/कठ्ठीवाड़ा/चन्द्रशेखर आजाद नगर।
09. तहसीलदार, चन्द्रशेखर आजाद नगर, जिला अलीराजपुर।
10. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अलीराजपुर।
11. सहायक संचालक, जनसम्पर्क अलीराजपुर की ओर विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रस्तुत।
12. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा कलेक्टोरेट अलीराजपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करे।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

Scanned by CamScanner